संख्या:79/2017/3997/12-2-2017-8/2017

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 25 अक्टूबर, 2017

विषय: प्रमाणित बीजों पर अनुदान दिये जाने की योजनान्तर्गत गेहूँ एवं जौ फसलों के बीजों पर प्रोत्साहन हेतु कृषकों को उन्नतशील प्रजातियों पर देय अनुदान में वृद्धि किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: एस0एफ0/1177 टी/प्रमा0बीज वितरण/2017-18 दिनांक 22 सितम्बर, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रमाणित बीजों पर अनुदान दिये जाने की योजनान्तर्गत गेहूँ एवं जौ फसलों के बीजों पर प्रोत्साहन हेतु कृषकों को उन्नतशील प्रजातियों पर विशेष अनुदान दिये जाने संबंधी पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या: 16/2017/1589/12-2-2017-8/2017 दिनांक 18 मई, 2017 में संशोधन करते हुए शासन द्वारा प्रदेश में **गेहूँ एवं जौ** के उन्नतशील प्रमाणित बीजों को क्रय करने हेतु वर्ष 2017-18 से कृषकों को निम्नवत विशेष अनुदान दिये जाने हेतु श्री राज्यपाल एतदद्वारा आदेश प्रदान करते हैं:-

(रूपये/कुंतल)

फसल का नाम	प्रमोशनल (10 वर्ष तक की अधिसूचित प्रजातियॉ)	मेन्टीनेन्स(10 वर्ष से अधिक तथा 15 वर्ष तक की अधिसूचित प्रजातियॉ)	फेज आउट (15 वर्ष से अधिक की अधिसूचित प्रजातियॉ)
गेहूँ एवं जौ	रू0 600 (रू0 200 की वृद्धि)	रू0 200(यथावत)	शून्य(यथावत)

2. प्रदेश द्वारा केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत देय अनुदान तथा राज्य सरकार से देय विशेष अनुदान बीज के मूल्य के 50 प्रतिशत की सीमा तक ही उपलब्ध कराया जायेगा।

3. उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रमाणित बीजों के वितरण की योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा गेहूँ व जौ के प्रमाणित बीज वितरण पर कृषकों को देय संशोधित विशेष अनुदान के परिणामस्वरूप आने वाले अतिरिक्त व्यय भार को योजना हेतु

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

स्वीकृत बजट रूपये 6500.00 लाख से वहन कर लिया जायेगा। प्रमाणित बीज वितरण पर प्रस्तावित विशेष अनुदान में वृद्धि के फलस्वरूप राज्य सरकार को इस मद में अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था नहीं करनी है। आगामी वर्षो में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रमाणित बीज वितरण कार्यक्रम में लक्ष्यों के आधार पर संबंधित वित्तीय वर्ष में योजनान्तर्गत धनराशि की व्यवस्था की जायेगी।

4. योजनान्तर्गत लाभार्थियों का विवरण कृषि विभाग की वेबसाइट पर डाला जायेगा।

कृपया उक्त निर्देशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 79/2017/3997 (1)/12-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)- प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. वित्त नियंत्रक, उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ।
5. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, लखनऊ।
6. अपर कृषि निदेशक, बीज एवं प्रक्षेत्र, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमा कान्त पाठक)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।